न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :— 12/2023

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2023/167

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. लालाराम पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी कुंबिया, तहसील— चितलवाना , जिला— जालोर।		1. गुलाराम पुत्र लाधाराम जाति विश्नोई निवासी हनवन्तपुरा तहसील चितलवाना। 2. व्यवस्थापक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक डूंगरी। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :— 20.12.2023

उपस्थिति:—

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी, श्री शंकर चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रघुवीरसिंह उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक:— 19.09.2025

1. प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी व उनके भाईयो के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ग्राम— कुबिया पटवार हल्का दूठवा उपखण्ड क्षेत्र—चितलवाना में खेत खसरा नम्बर 159 रकबा 7.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159/2391 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 160 रकबा 3.04 हैक्टेयर के आये हुये है। जिसमे खसरा नम्बर 159 में प्रार्थी की ढाणी स्थित हैं। उक्त खेत प्रार्थी के [illegible] हुआ है। प्रार्थी के खेत में आने—जानें के लिए रास्ता अप्रार्थी के खातेदारी [illegible] हनवन्तपुरा पटवार हल्का दूठवा उपखण्ड क्षेत्र—चितलवाना के खसरा नम्बर 265/[illegible] रकबा 1.60 हैक्टेयर में से 74 मीटर लम्बाई व 05 मीटर के चौडे रास्ते की निकटतम रूट से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने—जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने मे आने—जाने का निकटतम रूट का सुविधाजनक का रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 204/1371 बरसल की बेरी ग्राम पंचायत दूठवा से हनवन्तपुरा जाने वाली पक्की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सड़क को जोड़ता है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर विनम्र निवेदन किया कि प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के उक्त आवेदित स्थान के रास्ते के अभाव में प्रार्थी के बच्चों के शिक्षा हेतु स्कूल आने–जानें, खेतों में आने–जाने, काश्त के साधन, उपकरण लाने–ले जाने, राशन सामग्री लानें–ले जाने में, नरेगा में नाडी पर रोजगार हेतु आने–जाने इत्यादि कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करनें का आदेश तहसीलदार चितलवाना के नाम जारी फरमावें तथा उक्त रास्ते की भूमि में अप्रार्थी किसी प्रकार का आवागमन में बाधा कारित न करें एवं आवेदित स्थान रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण न करें व न करावें। इस आशय का आदेश जारी फरमावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह उपस्थिति।

3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 159, 159/2391, 160 में आवागमन का निकटतम रूट का रास्ता खसरा नम्बर 205/1371 में से बताया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 159, 159/2391, 160 में आवागमन का रास्ता प्रार्थी के भाईयों का खेत खसरा नम्बर 163 में से है जो नर्मदा नहर से लगता हुआ है तथा दुसरा रास्ता मौके पर वर्तमान में खसरा नम्बर 211/1368 में से चल रहा है जो रास्ते से जुड़ा हुआ है तथा इसी खसरा नम्बर 211/1368 में से चलते आ रहे है प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी को राजनैतिक द्वैषभावना से हैरान परेशान करने के लिये से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र के अवतरण संख्या 2 (A,B,C,D,E,F,G) में वर्णित सभी तथ्य व कॉलम अपूर्ण होने से तथा प्रार्थना पत्र विहित रीति के प्रारूप में नहीं होने से काबिल खारिज है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 159 व 160 में आवागमन का धारा 251A R-T-Act- माफिक खसरा नं. 163 नर्मदा नहर से जुड़ा हुआ है जो प्रार्थी के भाईयों का खेत है जिसको नक्शा परिशिष्ट क में वर्णित आसमानी रंग से दर्शाया गया है तथा दुसरा रास्ता खसरा नम्बर 211/1368 के पश्चिमी माठ पर वर्तमान में चालु रास्ता है जिससे प्रार्थी कदीमी से आवागमन करता है। जिसको नक्शा परिशिष्ट क में लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थी ने अपने भाईयों के खेत खसरा नम्बर 163 में से रास्ता न मांग कर मुझ अप्रार्थी के खेत में से रास्ते की मांग की है। जबकि प्रार्थी के खेत ग्राम कुम्बीया में स्थित है तथा मुझ अप्रार्थी का खेत ग्राम हनवन्तपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

में स्थित हैं, जो व्यवहारिक दृष्टि से भी प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है इसके विपरित प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अतः निवेदन है कि श्रीमान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवैधानिक, अनुचित व अव्यवहारिक होने से खारिज किया जावे तथा अप्रार्थी को प्रार्थी से खर्चा हर्जा दिलाया जावें।

4. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के खेत में आने–जानें के लिए रास्ता अप्रार्थी के खातेदारी खेत ग्राम– हनवन्तपुरा पटवार हल्का दूठवा के खसरा नम्बर 205/1371 रकबा 1.60 हैक्टेयर में से 74 मीटर लम्बाई व 05 मीटर के चौड़े रास्ते की निकटतम रुट से आवश्यकता है। जो नक्शा परिशिष्ट **अ** में दर्शाया है, उक्त रास्ता आने–जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने में आने–जाने का निकटतम रूट का सुविधाजनक का रास्ता नहीं है। अतः निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस कर निवेदन किया प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 159, 159/2391, 160 में आवागमन का रास्ता प्रार्थी के भाईयों का खेत खसरा नम्बर 163 में से है जो नर्मदा नहर से लगता हुआ है तथा दुसरा रास्ता मौके पर वर्तमान में खसरा नम्बर 211/1368 में से चल रहा है, जो पत्रावली में प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रार्थी के खेत ग्राम कुम्बीया में स्थित है तथा मुझ अप्रार्थी का खेत ग्राम हनवन्तपुरा में स्थित हैं। इसके विपरित प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवैधानिक, अनुचित व अव्यवहारिक होने से खारिज किया जावे। तहसीलदार चितलवाना द्वारामौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो सलंग्न पत्रावली है।

6. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अध्ययन एवं अवलोकन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है :–

251'क' :– अन्य खातेदार की जोत मं से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना विद्यमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं ... जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि:–

(i) यह आवश्यकता अत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है :–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है द्वारा सीमाकिंत या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है दर्शाया जाये, भूमि में से होकर यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अनाधिक तक विस्तारित चौड़ा करने के लिये, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने का नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाये पर जो विहित रिती से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाऐगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति जिनको उपधारा (1)में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब खातेदार को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा साथ ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो, तब नया मार्ग स्वीकृत किया जायेगा।

7. तहसीलदार चितलवाना की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक [illegible]24 अनुसार प्रार्थी के खसरा नं. 159, 159/2391, 160 (कुल [illegible]) [illegible] भूमि धारक है। उक्त खसरों तक पहुँच हेतु राजस्व [illegible] कोई [illegible]कारी रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि कार्यों (बुवाई, कटाई, वाहन आवागमन आदि) के लि[illegible] रास्ता आवश्यक है। प्रार्थी ने अपनी भूमि खसरा नं. 159 से लगते हुए मौजा हनवन्तपुरा के खसरा नं. 205/1371 से 4 मीटर चौड़ाई में रास्ते की मांग की है। यह भूमि खातेदार गुलाराम पुत्र लाधा (जाति विश्नोई, निवासी हनवन्तपुरा) की है, जो RMGB शाखा डूंगरी के पक्ष में रहन दर्ज है। खसरा नं. 205/1371 के पूर्व–दक्षिण माठ पर हनवन्तपुरा से कुम्बिया पक्की सड़क दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

है, जो प्रार्थी के खेत (खसरा नं. 159) से मात्र 76 मीटर दूरी पर है। बीच में खसरा नं. 211/1368 व 1368 (पूर्व की ओर) तथा 205/1371 (पश्चिम की ओर) पड़ते हैं। मौके पर खातेदार गुलाराम ने 205/1371 में ईंटों से बनी ओरड़ी का निर्माण किया है, शेष भाग खाली है। वर्तमान में प्रार्थी ने खसरा नं. 205/1371 के पूर्वी माठ से लगता हुआ 211/1368 व 1368 से होकर रास्ता बना रखा है तथा आवागमन चालू है।

8. इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता के जवाब, उभय पक्षकारान की बहस व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने नवीन रास्ते के आवेदन हेतु खसरा नम्बर 205/1371 से मांग की है। प्रार्थी रास्ते हेतु खसरा संख्या 163, जो नर्मदा नहर से लगता हुआ है तथा दुसरा रास्ता जो मौके पर वर्तमान में खसरा नम्बर 1368, 211/1368 में से आवागमन चालू है, उक्त दोनों खसरों से होते हुए भी रास्ते की मांग कर सकता था। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरों से ना ही मांग की एवं ना ही उक्त खसरान एवं वर्तमान में आवागमन हेतु उपयोग में ले रहे खसरान के खातेदारों को पक्षकार संयोजित किया गया है।

9. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' में यह आज्ञापक प्रावधान है कि केवल सुविधा हेतु दूरस्थ स्थान से मार्ग स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होकर केवल सुविधा हेतु दूरूस्थ मार्ग चाहा गया है अतएवः प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता साबित नहीं होने, पूर्व से वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता होने तथा खसरा संख्या 163, 211/1368, 1368 के खातेदार को पक्षकार संयोजित नहीं करने से उक्त राजस्व प्रार्थना–पत्र को प्रार्थी भली भाँति साबित करने में सफल नहीं होने से अस्वीकार किया जाना पूर्णतः विधिसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **19.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)
सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर